

झारखंड कृषि एवं पशुधन वपिणन वधियक-2022 को मली राज्यपाल की मंजूरी

चर्चा में क्यों?

3 फरवरी, 2023 को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने चार सुझावों के साथ झारखंड विधानसभा से पारित 'झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन वपिणन वधियक-2022' को अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

प्रमुख बदि

- 'झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन वपिणन वधियक-2022' पर राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अब राज्य में मुख्य रूप से खरीदारों से दो प्रतिशत कृषि बाजार टैक्स तथा तुरंत नष्ट होने वाले कृषि उपज पर एक प्रतिशत टैक्स लगेगा।
- इसके अलावा वधियक में कृषि वपिणन में नज्जी भागीदारी व कृषकों को बाजार के अधिक विकल्प उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
- गौरतलब है कि 24 मार्च, 2022 को झारखंड विधानसभा से यह वधियक पारित करा कर पहली बार राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल की ओर से हिन्दी-अंग्रेजी रूपांतरण सहित अन्य कई आपत्तियों के साथ इसे अस्वीकृत कर सरकार को 17 मई, 2022 को लौटा दिया गया था।
- दूसरी बार शीतकालीन सत्र में 24 दिसंबर, 2022 को विधानसभा द्वारा वधियक को स्वीकृति के लिये राज्यपाल के पास भेजा गया था। इसके बाद राज्यपाल ने एक फरवरी 2023 को वधियक में नहिति प्रावधानों को लेकर कृषि मंत्री व कृषि सचिव के साथ चर्चा की। वधियक पर चर्चा के लिये किसी मंत्री को पहली बार राजभवन बुलाया गया था।
- राज्यपाल ने वधियक के संबंध में कई सुझाव भी राज्य सरकार को दिये हैं, जसमें बताया गया है कि इस वधियक के आलोक में नयिमावली के गठन के दौरान सभी हतिधारकों से व्यापक चर्चा सुनिश्चिती की जाए। इसके अलावा बाजार शुल्क की दर निर्धारण में राज्य के ग्रामीण तथा अनुसूचिती जनजातीय (एसटी) समुदाय के कृषकों का विशेष ध्यान रखते हुए शुल्क का निर्धारण किया जाए।
- इस वधियक में मुख्य रूप से किसानों के उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने की बात कही गई है। राज्यों से आयातित वस्तुओं पर अधिकतम स्लैब दो प्रतिशत कृषि शुल्क लगाने का प्रावधान है। कच्चे माल में एक प्रतिशत और सीलबंद पैक माल यानि जिल्द खराब नहीं होने वाले माल पर अधिकतम एक प्रतिशत टैक्स लेने का प्रावधान है।
- वधियक में कृषि बाजार समितियों में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत या निर्वाचिती जनप्रतनिधि को अध्यक्ष बनाया जाना, 'एक देश एक बाजार' के तहत राज्य के कृषकों को आधुनिक वपिणन व्यवस्था के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल से जोड़ना, कृषि बाजार टैक्स से प्राप्त राजस्व से ग्रामीण हाट-बाजारों के आधुनिकीकरण के साथ नये बाजारों की स्थापना करना, ताकि किसानों को प्रत्येक 10 कमी. पर बाजार उपलब्ध हो सके आदि प्रावधान हैं।
- इस वधियक के अलावा राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विधानसभा से पारित 'झारखंड आकस्मकिता नधि (संशोधन) वधियक- 2022' को भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस वधियक द्वारा अब राज्य की आकस्मकि नधि से नकिसी की राशा 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए तक की कर दी गई है।